

:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल महासमुन्द (छ.ग.) ::

(07723) 222084, Fax :- 222084 – E-mail – dfomahasamund@rediffmail.com

क्रमांक / मा.चि. / 1982
प्रति,

महासमुन्द, दिनांक 06/08/2024

परियोजना प्रबंधक,
छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना
(ए. बी.डी. प्रोजेक्ट)
लो.नि.वि. बलौदाबाजार (छ.ग.)

संशोधित

विषय: – Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 proposed for the rehabilitation and Upgrading of Dewari- Saldih-Gadphuljhar- Toshgaon- Toreshingha Road area 2.767 ha. Mahasamund District in the State of Chattisgarh- reg.

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक F.No. FC-I/ IROCH – 20 / 2023 / 1369 (A) दिनांक 28.04.2023

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में सदरित पत्र के माध्यम से अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

पूर्व में आपके द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रकबा 5.534 हे. हेतु वर्ष 2023-24 के लिये सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु निर्धारित दर 9,66,666.00 प्रति हे. की मान से 53,49,530.00 (तिरपन लाख उन्चास हजार पाँच सौ तीस रुपये मात्र) कैम्पा मद में जमा की गई है।

अतः आप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रकबा 5.534 हे. हेतु वर्ष 2024-25 के लिये सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु निर्धारित दर 11,69,680.00 प्रति हे. की दर से अंतर की राशि 11,23,479/- रु (ग्यारह लाख तीस हजार चार सौ उन्चासी रु) ई-पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट करवा कर कैम्पा खाता में जमा करें।

साथ ही अंतिम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पृथक-पृथक वचन पत्र सहित पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रेषित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल, महासमुन्द